



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32569-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 393 वर्ष 2016

पवन कुमार बाल्मीकि

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : के.के. त्रिपाठी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मो. फारूक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ की दिनांक 29.01.2026 की एक रिपोर्ट इस न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. उक्त रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता-पवन कुमार बाल्मीकि पुत्र बोधी प्रसाद, तथा संबंधित आपराधिक अपील (आपराधिक अपील संख्या 108 वर्ष 2016) के अपीलकर्ता-विजय कुमार कोरी पुत्र जोखू कोरी, दोनों की ही उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है।
3. उपर्युक्त रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, प्रस्तुत आपराधिक अपील, अपीलकर्ता-पवन कुमार बाल्मीकि के संबंध में समाप्त मानी जाती है।

12 फरवरी, 2026

सौरभ

(देवेंद्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”